



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266504
CG-DL-E-29092025-266504

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 624]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947

No. 624]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितंबर, 2025

सा.का.नि. 708(अ).— निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 (2020 का 37) की धारा 23 और 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार बनाने का प्रस्ताव करती है, को धारा 134 की उप धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा अधिसूचना पर उस तारीख से 45 दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, आम जन के लिए उपलब्ध करा दी जाती हैं; आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, को श्री रविशंकर निराला, अवर सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, कमरा संख्या: 17, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को अथवा ईमेल (fas@dgfasli.nic.in तथा ravis.nirala@nic.in) द्वारा भेजा जा सकता है। आपत्तियां और सुझाव एक प्रोफार्मा में भेजे जाएं जिसमें कॉलम (i) में व्यक्तियों और संगठनों के नाम और पते का उल्लेख हो, कॉलम (ii) में उस नियम या उपनियम का उल्लेख हो जिसे संशोधित करने का प्रस्ताव है, तथा कॉलम (iii) में प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधित नियम या उपनियम और उसके कारणों का उल्लेख हो; उक्त मसौदा अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति या संगठन से ऊपर निर्दिष्ट 45 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

कारखाना कर्मकारों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 की धारा 23 और 24 के अंतर्गत विहित मसौदा नियम।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ (i) इन नियमों का नाम व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 की धारा-23 और 24 के अंतर्गत कर्मकार नियम, 2020.....है।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(iii) ये व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख पर राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "संहिता" से व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएँ संहिता, 2020 अभिप्रेत है;

(ख) "प्रभारी कैंटीन अधिकारी" से वह व्यक्ति (प्रबंधक के अलावा) अभिप्रेत है जिसे अधिष्ठाता नियोक्ता द्वारा संहिता के अंतर्गत कैंटीनों के संबंध में प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया है।

(ग) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है।

(घ) "संलग्नक" से इन नियमों से संलग्न सूची अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों को यहां परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु वे संहिता में हैं, तथा उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संहिता में दिए गए हैं।

3. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन सफाई और स्वच्छता:- प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

(1) सभी कार्यस्थलों, कार्य कक्षों, गलियारों, सीढ़ियों, भंडार कक्षों और सेवा कक्षों को साफ-सफाई और स्वास्थ्यकर दशा में रखा जाए।

(2) दीवारों और छतों की सतहें, जिनमें खिड़कियाँ और रोशनदान शामिल हैं, हमेशा साफ-सुथरी और स्वास्थ्यकर दशा में रखी जाएं।

(3) प्रत्येक कार्य कक्ष का फर्श साफ-सुथरा रखा जाए तथा जहां तक संभव हो, इसे सूखा और फिसलन रहित रखा जाए।

(4) जहाँ गीली कार्य प्रक्रियाएँ की जाती हैं—

(i) प्रभावी जल निकासी बनाई रखी जाए;

(ii) फॉल्स फर्श, प्लेटफार्म, चटाई या खड़े होने के अन्य सूखे स्थान उपलब्ध कराए जाएं; और

(iii) ऐसे स्थानों पर काम करते समय उपयोग के लिए उपयुक्त फिसलनरोधी जूते कर्मकारों को बिना किसी व्यय के उपलब्ध कराए जाएं।

(5) किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुसार जितनी आवश्यकता हो उतनी बार कार्य कक्षों की सफाई की जाए।

(6) जहां तक संभव हो, झाड़ू लगाना और सफाई कार्य—

(i) काम के बीच के अंतराल के दौरान किया जाए; और

(ii) यह इस तरह से किया जाए कि धूल को उड़ने से रोका जा सके।

(7) जहां तकनीकी कारणों से कार्य समय के दौरान सफाई करना आवश्यक हो, वहां धूल या अन्य हानिकारक पदार्थों से वायु के संदूषण से बचने के लिए उचित साधन का उपयोग किया जाए तथा सावधानी बरती जाए।

(8) प्रभावी पर्यवेक्षण के तहत हर प्रकार के अपशिष्ट के दैनिक संग्रहण, भंडारण, निपटान या उपचार के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

4. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (ii) के अंतर्गत वेंटिलेशन, तापमान और आर्द्रता:

प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) कार्यस्थलों में प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से उपयुक्त वातावरणीय दशाएं बनाए रखी जाएं, ताकि अपर्याप्त वायु आपूर्ति, स्थिर या दूषित वायु, हानिकारक हवाएं, अत्यधिक गर्मी या ठंड, तापमान में अचानक परिवर्तन से बचा जा सके, तथा जहां व्यावहारिक हो, वहां की जाने वाली प्रक्रियाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अत्यधिक आर्द्रता या सूखापन तथा असहनीय गंध से बचा जा सके।
- (2) कारखाने के सभी कार्यस्थलों पर धुआं और धूम, भाप और धूल को दूर करने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन उपलब्ध कराने तथा ज्वलनशील या हानिकारक गैसों को पतला करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि वे हानिरहित बन सकें।
- (3) कर्मचारियों को मौसम की चरम स्थिति से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं, जैसे कि कार्य के घंटों में उचित परिवर्तन करना, आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कपड़े या अन्य उपयुक्त प्रावधान निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- (4) जहां प्राकृतिक वेंटिलेशन द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ हवा प्राप्त नहीं की जा सके, या जहां प्रवेश द्वारों के पास असुविधाजनक हवा का प्रवाह बनाए बिना कार्य कक्ष में वांछित मात्रा में हवा पहुंचाना कठिन होता है, वहां यांत्रिक वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाए।
- (5) जहां कार्य की प्रकृति के कारण स्थानीय तापन उपकरण कार्य कक्षों में स्थापित कराना आवश्यक हो, वहां कमरे में उपकरण का लेआउट ऐसा होगा कि ज्वलनशील गैसों को कमरे के वातावरण में प्रवेश करने से रोका जा सके।
- (6) कार्य कक्षों में किए जाने वाले कार्य के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखा जाए तथा कर्मचारियों के आराम के लिए आर्द्रता की मात्रा बनाए रखी जाए।
- (7) जहां कार्य की प्रकृति के कारण अत्यधिक उच्च तापमान उत्पन्न किया जाता है, वहां सभी कर्मचारियों को उपकरण के तापरोधी इन्सुलेशन द्वारा या अन्य उपयुक्त साधनों द्वारा ताप विकिरण और भाप या गर्म पानी के पाइप या अन्य गर्म सतहों के कारण उत्पन्न अत्यधिक तापमान से सुरक्षित किया जाएगा।

5. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (iii) के अंतर्गत धूल के लिए सावधानी - प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) जहां कहीं भी ज्वलनशील धुएं, गैसों, धुंध, वाष्प या अवशेषों को हटाने के लिए निकास प्रणालियां स्थापित करने की आवश्यकता हो, उन्हें किसी अन्य वेंटिलेशन प्रणाली से नहीं जोड़ा जाए या ज्वलनशील गैसों को ले जाने के लिए उपयोग की जाने वाली चिमनी या फ्लू में नहीं छोड़ा जाए।
- (2) जब निकास प्रणालियों से निकलने वाले धुएं, गैसों, धुंध, वाष्प, धूल और अन्य स्राव से कर्मचारियों या पड़ोस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो या वे हानिकारक हों, तो निकास को एक ऐसी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा जो विषाक्त पदार्थों को निष्क्रिय कर दे, संक्रामक पदार्थों को जीवाणुरहित कर दे और धुएं, गैसों, धुंध या वाष्प को दुर्गन्धमुक्त कर दे।
- (3) किसी भी कर्मकार से किसी कार्यस्थल या परिरूद्ध स्थान में प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं होगी अथवा अनुमति नहीं

दी जाएगी, जब तक कि वहां उपस्थित हानिकारक गैस, धुएं, वाष्प या धूल के स्तर को स्वीकार्य सीमा के भीतर लाने के लिए व्यावहारिक उपाय नहीं किए जाते हैं।

6. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (iv) के अधीन कृत्रिम आर्द्रीकरण

- प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता, जहां विनिर्माण प्रक्रिया के लिए कृत्रिम आर्द्रीकरण का उपयोग किया जाता है, यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) यदि कर्मचारियों को अपने सभी या कुछ कार्यों में अत्यधिक गर्मी और उच्च आर्द्रता का सामना करना पड़ता है, और खतरे को समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जोखिमों का आकलन किया जाएगा और खतरे या जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक नियंत्रण लागू किए जाएंगे।
- (2) उपर्युक्त जोखिम मूल्यांकन में खतरनाक पदार्थों के विरुद्ध सुरक्षात्मक वस्त्रों के उपयोग को ध्यान में रखा गया है, जो तापीय दबाव के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, तथा यह भी कि श्वसन रक्षक असुविधाजनक होते हैं तथा अत्यधिक गर्म कार्य वातावरण में इनके उपयोग की संभावना कम होती है।
- (3) जहां जोखिम का एक हिस्सा काम के दौरान उत्पन्न मेटाबोलिक गर्मी या धूप और उच्च बाहरी वायु तापमान के सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है, और जब ऐसे जोखिम को समाप्त करने के अन्य तरीके अव्यावहारिक हैं, तो कर्मकार को ठीक होने का अवसर देने के लिए, संपर्क में आए कर्मचारियों के लिए एक कार्य-आराम चक्र, अधिमानतः एक छायादार, वातानुकूलित या ठंडे विश्राम स्थान में प्रदान किया जाएगा।
- (4) हाईड्रेशन बनाए रखने के लिए, जहां उपयुक्त हो, उचित इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ पर्याप्त मात्रा में पेयजल आसानी से सुलभ स्थानों पर उपलब्ध कराया जाए।
- (5) जहां व्यावहारिक नियंत्रण उपाय करने के बाद भी तापीय दबाव का जोखिम बना रहे, वहाँ कर्मकारों की पर्याप्त निगरानी की जानी चाहिए ताकि लक्षण दिखाई देने पर उन्हें गर्म और आर्द्र दशाओं से दूर रखा जा सके। साथ ही, प्राथमिक उपचार सुविधाएँ उपलब्ध हों और कर्मकारों को ऐसी सुविधाओं के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया हो।
- (6) अत्यधिक गर्म और आर्द्र दशाओं में काम करने वाले कर्मकारों को निम्नलिखित निर्देश और प्रशिक्षण दिया जाए:
 - (i) उन लक्षणों को पहचानना जो स्वयं में या दूसरों में तापीय दबाव का कारण बन सकते हैं, तथा आरंभिक और/या आपात स्थितियों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम; और
 - (ii) उच्च तापमान या आर्द्रता के कारण दुर्घटनाओं के बढ़ते जोखिम की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई।
- (7) वायु की सापेक्षिक आर्द्रता निर्धारित करने के लिए जांच की जाए और उन्हें रिकार्ड किया जाए और यदि वायु का आर्द्रता स्तर कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया जाता है, तो इसे कृत्रिम रूप से इस प्रकार नियंत्रित किया जाए कि आर्द्रता और तापमान से कर्मचारियों को असुविधा न हो और इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी सार्वजनिक आपूर्ति या पेयजल के अन्य स्रोत से लिया जाए या उपयोग करने से पहले उसे परिशुद्ध किया जाए।
- (8) आर्द्रता और तापमान के मापन और रिकॉर्डिंग के लिए उचित स्थान पर उपकरण उपलब्ध कराए जाए और उनका रखरखाव किया जाए।

7. पेयजल - धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन:- प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) सभी कार्यस्थलों पर सभी कर्मचारियों के लिए स्वच्छ, स्वास्थ्यवर्धक और सुरक्षित पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध कराई जाए तथा यह सुलभता से उपलब्ध हो।
- (2) पाइप द्वारा आपूर्ति के अलावा पेयजल की किसी भी आपूर्ति को उपयुक्त पात्रों में रखा जाए, जिन पर हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में स्पष्ट रूप से चिह्न अंकित या प्रदर्शित किया जाए, ताकि यह दर्शाया जा सके कि जल पीने के लिए सुरक्षित है और ऐसी आपूर्ति को प्रतिदिन भरा जाए तथा जल और पात्रों को संदूषण से बचाने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाएं;
- (3) जहां पानी राईजिंग जेट द्वारा दिया जाता है, वहां को छोड़कर, सामान्य पीने के गिलास या कप का उपयोग निषिद्ध है।
- (4) जहां जल पीने के लिए असुरक्षित है, या औद्योगिक प्रक्रियाओं या अन्य प्रयोजनों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है, वहां इसका उल्लेख हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में किया जाना चाहिए, जिसे अधिकांश कर्मकार समझते हों।

8) भीड़भाड़ - धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (vi) के अंतर्गत:

प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) किसी भी भवन में फर्श पर मशीनरी इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि वह कर्मचारियों के लिए खतरनाक हो, या सामग्री या उत्पादों से इतनी अधिक भरी हुई न हो कि वह उनके लिए खतरा बन जाए।
- (2) सामान्य परिचालन, समायोजन, साधारण मरम्मत, आपूर्ति की गई, प्रक्रियाधीन या पूर्ण हो चुकी सामग्रियों के लिए व्यक्तिगत मशीनों या प्रक्रिया इकाइयों के चारों ओर पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाए।
- (3) फैक्ट्री परिसर में किसी भी स्थान पर, जहां कर्मचारियों को काम करना हो या किसी भी कारण से एकत्र होना हो, वहां भीड़भाड़ को रोकने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएं, जिनमें शामिल हैं:
 - (i) सभी कार्य क्षेत्रों में भीड़भाड़ से संबंधित खतरों को दर्शाने वाले संकेतों या प्रतीकों का डिजाइन और उपयोग, जिसमें किसी भी समय ऐसे स्थानों पर काम करने के लिए अनुमत कर्मकारों की संख्या निर्दिष्ट की गई हो;
 - (ii) वाहनों और पैदल यात्रियों के रास्तों को अलग-अलग रंगों से चिह्नित अवरोधों का उपयोग करके अलग रखा जाए।
 - (iii) वाहनों की तैनाती को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाए और भीड़भाड़ से बचा जाए।

9. प्रकाश (ईल्यूमिनेशन) - धारा-23 की उपधारा (2) के खण्ड (vii) के अधीन:

प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) कारखाने में सभी स्थानों, जिनमें उपयोगिता सेवाओं से संबंधित सभी सुविधाएँ शामिल हैं, जहाँ कर्मचारी काम करते हैं या गुजरते हैं, या जिन्हें आपात स्थिति में काम करना या गुजरना पड़ सकता है, में उपयोग के समय पर्याप्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था, या दोनों उपलब्ध हैं, जो संचालन और किए जा रहे विशेष प्रकार के कार्य के लिए उपयुक्त हैं। जहाँ भी संभव हो, प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था की जाए।
- (2) कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था तब प्रदान की जाए या व्यवस्थित की जाए जब दिन का प्रकाश कम हो या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ दिन का प्रकाश अपर्याप्त हो।
- (3) प्रत्येक कार्यस्थल पर, जहाँ कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था के विफल होने की स्थिति में कर्मचारियों को जोखिम का सामना करना पड़ता है, वहाँ पर्याप्त क्षमता की स्वचालित आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, जिसके ऊर्जा स्रोत सामान्य प्रकाश व्यवस्था प्रणालियों के लिए स्थापित उपकरणों से स्वतंत्र होने चाहिए।

10. धारा 23 की उपधारा (2) के खंड (viii) के अधीन शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था: प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) (i) कारखाने के प्रत्येक कार्य स्थल पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के उपयोग के लिए सुविधाजनक अलग-अलग स्थानों पर पर्याप्त शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था की जाए।
- (ii) ऐसे आवास में पर्याप्त रोशनी और हवादार व्यवस्था होनी चाहिए तथा उसे हर समय साफ और स्वच्छ रखा जाए।
- (2) (i) शौचालय, मूत्रालय और स्वच्छता ब्लॉकों का फर्श फिसलन रहित स्थिति में रखा जाए।
- (ii) शौचालयों, मूत्रालयों और सैनिटरी ब्लॉकों की आंतरिक दीवारों पर चमकदार टाइलें लगाई जाए। वैकल्पिक रूप से, शौचालयों और मूत्रालयों की आंतरिक दीवारों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वे चिकनी, पॉलिश की हुई और अभेद्य सतह प्रदान करें जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्यपरकता को बढ़ावा मिले;
- (iii) शौचालयों और मूत्रालयों के सैनिटरी पैन को हर समय धोया हुआ और साफ रखा जाए।
- (3) प्रत्येक 25 पुरुष और 15 महिला कर्मकारों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए और निःशक्त कर्मकारों और ट्रांसजेंडर कर्मकारों के लिए कम से कम एक अलग शौचालय की व्यवस्था की जाए। साथ ही, एक ही समय में कार्यरत प्रत्येक 15 पुरुष कर्मकारों के लिए कम से कम एक मूत्रालय की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक शौचालय और मूत्रालय में पर्याप्त जल आपूर्ति उपलब्ध हो।
- (4) नल के पानी सहित वॉशबेसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- (5) महिलाओं के उपयोग के लिए उनके शौचालयों में पर्याप्त मात्रा में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएं तथा उनका रखरखाव किया जाए तथा इन्हें दैनिक आधार पर भरा जाए।
- (6) महिलाओं के शौचालयों में इस्तेमाल किए गए सैनिटरी नैपकिन इकट्ठा करने के लिए ढक्कन वाले डिस्पोजेबल कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाए। इस्तेमाल किए गए नैपकिन का सुरक्षित निपटान किया जाए। पुरुषों, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी शौचालयों में ढक्कन वाले डिस्पोजेबल कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (7) प्रत्येक शौचालय को कवर किया जाए तथा इस प्रकार विभाजित किया जाए कि गोपनीयता बनी रहे, तथा उचित दरवाजा, फास्टनिंग और निकास हो।

11. धारा 23 की उप-धारा (2) के खंड (ix) के तहत अपशिष्ट और बहिःस्राव का उपचार:- प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) कारखाने से निकलने वाले तरल अपशिष्ट और गैसीय उत्सर्जन के निकास त ठोस कचरे के निपटान के लिए उचित व्यवस्था की गई है।
- (2) सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करते हुए, अपशिष्ट और बहिःस्राव के उपचार के लिए प्रभावी व्यवस्था की जाती है।
- (3) अपशिष्ट और बहिःस्राव के संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़े खतरों और जोखिमों की पहचान की जाती है और उचित निवारक और नियंत्रण उपाय लागू किए जाते हैं।
- (4) अपशिष्ट और बहिःस्राव के प्रबंधन के जोखिम के आकलन के आधार पर, उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं; और

(5) अपशिष्ट और बहिःस्राव का प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों को पहचाने गए खतरों और जोखिमों के बारे में और प्रशिक्षण दिया जाता है।

12. धुलाई की सुविधा - धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (i) के तहत: प्रत्येक कारखाने का मालिक यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) आसानी से पहुँच वाली जगहों पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के लिए अलग-अलग साबुन, तौलियाँ और पानी की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति उचित और पर्याप्त धुलाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई हो। जो इस प्रकार हैं:
 - i. कार्यस्थल से अलग हो;
 - ii. अच्छी तरह हवादार हो;
 - iii. उचित जल निकासी प्रणाली हो;
 - iv. साफ-सुथरी और स्वच्छ स्थिति में हो;
 - v. गोपनीयता बनाए रखने के लिए अंदर से बंद हो सके और उसमें उचित दरवाजे और ताले हों;
 - vi. हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बाहर उचित संकेत जैसे- "केवल पुरुषों के लिए", "केवल महिलाओं के लिए", "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए" या "केवल निःशक्त व्यक्तियों के लिए" (जो भी लागू हो) प्रदर्शित हों।

(2) एक ही तौलिये का इस्तेमाल करना मना है।

13. धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के तहत स्नान गृह और लॉकर रूम की व्यवस्था:

प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) आसानी से पहुँच वाली जगहों पर पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के लिए अलग-अलग साबुन, तौलियाँ और पानी की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति उचित और पर्याप्त धुलाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई हो। जो इस प्रकार हैं:
 - (i) कार्यस्थल से अलग हो;
 - (ii) अच्छी तरह हवादार हो;
 - (iii) उचित जल निकासी प्रणाली हो;
 - (iv) साफ-सुथरी और स्वच्छ स्थिति में हो;
 - (v) गोपनीयता बनाए रखने के लिए अंदर से बंद हो सके और उसमें उचित दरवाजे और ताले हों;
 - (vi) हिंदी, अंग्रेजी और अधिकांश कर्मचारियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में बाहर उचित संकेत जैसे- "केवल पुरुषों के लिए", "केवल महिलाओं के लिए", "केवल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए" या "केवल निःशक्त व्यक्तियों के लिए" (जो भी लागू हो) प्रदर्शित हों।
- (2) कार्य की प्रकृति के अनुसार, कार्य के समय पहने जाने वाले कपड़ों और ऐसे विशेष कपड़ों को रखने के लिए, जो कर्मचारी कार्य स्थल पर पहनते हैं लेकिन घर नहीं ले जाते, पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और निःशक्त व्यक्तियों के लिए आसानी से उपलब्ध जगहों पर उपयुक्त और अलग लॉकर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

14. धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के तहत कपड़े रखने और सुखाने की जगह – प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) कार्य की प्रकृति के अनुसार, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के लिए काम के घंटों के दौरान न पहने गए कपड़ों को रखने और सुखाने के लिए उपयुक्त, अलग और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- (2) ये सुविधाएं कार्यस्थल से अलग कमरों में हैं।
- (3) सभी पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के लिए एक चेंजिंग रूम है, जिसमें काम की प्रकृति के अनुसार गीले कपड़े सुखाने और कपड़े टाँगने के लिए उचित सुविधाएं हैं। साथ ही, जहां जरूरी हो, जहरीले, संक्रामक, जलन पैदा करने वाले या रेडियोएक्टिव पदार्थों से बचाव के लिए भी सुविधाएं हैं। काम के कपड़े और सामान्य कपड़े अलग रखने के लिए उचित लॉकर भी उपलब्ध हैं।
- (4) जब कर्मचारी ऐसे काम में लगे हों कि उनके काम के कपड़े गीले हो सकते हैं या शिफ्ट के बीच धोने पड़ सकते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जाती है कि काम पर लौटने पर हर कर्मचारी के पास हमेशा सूखे कपड़े हों।
- (5) यह सुविधाएं इस तरह से उपलब्ध कराई जानी चाहिए—
 - (i) पर्याप्त आकार के और उचित वेंटिलेशन वाले व्यक्तिगत लॉकर;
 - (ii) बेंच या बैठने की अन्य उपयुक्त व्यवस्था।

15. धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (iv) के तहत बैठने की व्यवस्था:

प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि खड़े होकर कार्य करने वाले कर्मचारियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाए, ताकि उनके कार्य में कोई बाधा न हो। इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त और आरामदायक बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

16. धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (v) के तहत कैंटीन की व्यवस्था:

हर कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) ऐसे हर कारखाने में, जहाँ 100 या उससे अधिक कर्मचारी, जिनमें ठेका श्रमिक भी शामिल हैं, काम करते हैं, कारखाना परिसर में या उसके आस-पास एक कैंटीन है जहां कर्मचारियों को पौष्टिक, स्वच्छ और स्वस्थ भोजन उपलब्ध हो।
- (2) कारखाने का अधिष्ठाता कारखाना परिसर में या उसके आस-पास एक कॉमन कैंटीन के माध्यम से भी कैंटीन की सुविधा दे सकता है।
- (3) कैंटीन को धूल, धुएं या बदबूदार गैस से बचाने के लिए शौचालय, मूत्रालय और प्रोसेस एरिया से उचित दूरी पर हो।
- (4) कैंटीन में कम से कम एक डाइनिंग हॉल, किचन, स्टोर रूम, पेंट्री और कर्मचारियों के हाथ धोने तथा बर्तन धोने के लिए अलग-अलग जगह हो।
- (5) कैंटीन में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग दरवाजे हो।
- (6) डाइनिंग हॉल
 - (i) डाइनिंग हॉल को ऐसी किसी भी जगह से अलग रखा गया है जहाँ कोई खतरनाक पदार्थ खाने-पीने की चीजों, थालियों या बर्तनों को दूषित कर सकता हो;

- (ii) डाइनिंग हॉल में कर्मचारियों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह है, ताकि एक समय में ज़्यादा कर्मचारी भी आराम से बैठ सकें;
- (iii) डाइनिंग हॉल और सर्विस काउंटर का एक हिस्सा अलग करके महिला कर्मचारियों और निःशक्त कर्मचारियों के लिए आरक्षित है; और
- (iv) पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर और निःशक्त कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वॉशरूम हैं और उनकी निजता का ध्यान रखते हुए उन्हें पर्दे से अलग किया गया है।

(7) उपकरण

- (i) भोजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला सारा सामान और बर्तन साफ किए जाते हैं और उन्हें स्वच्छ स्थिति में रखा जाता है;
- (ii) फर्नीचर और अन्य उपकरण साफ और स्वच्छ स्थिति में रखे जाते हैं।

(8) भोजन का भंडारण, तैयारी और रखरखाव

- (i) हर खाद्य प्रबंधक को भोजन से संबंधित ऐसे तरीकों का प्रशिक्षण और निर्देश दिए जाते हैं जिससे भोजन दूषित न हो; और
- (ii) कोई भी व्यक्ति जो संक्रामक बीमारी से पीड़ित है, उसे खाद्य प्रबंधक के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है।

(9) भोजन बनाने की जगह या डाइनिंग हॉल से बचा हुआ खाना और कचरा हटाकर ढके हुए कंटेनर में जमा किया जाता है और समय-समय पर उसका निपटान किया जाता है।

(10) खाना, पेय और अन्य सामान बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाता है, जिसकी कीमतें कैंटीन प्रबंधन समिति तय करती है; और

(11) कैंटीन में दिए जाने वाले भोजन, पेय और अन्य सामान का प्रति सर्विग मूल्य कैंटीन में प्रदर्शित किया जाता है।

(12) कैंटीन प्रबंधन समिति

(i) निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए एक कैंटीन प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है:

- क. कैंटीन में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और मात्रा;
- ख. मेनू की व्यवस्था;
- ग. कैंटीन में भोजन का समय; और
- घ. कोई अन्य संबंधित मामला

बशर्ते कि, यदि कैंटीन का प्रबंधन बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत किसी सहकारी संस्था द्वारा किया जाता है, तो कैंटीन प्रबंधन समिति को नियुक्त करना आवश्यक नहीं होगा।

(ii) कैंटीन प्रबंधन समिति में कर्मचारियों और अधिष्ठाता के बराबर संख्या में प्रतिनिधि होते हैं;

(iii) अधिष्ठाता के प्रतिनिधि की नियुक्ति अधिष्ठाता द्वारा की जाती है और

(iv) कर्मचारियों के प्रतिनिधि की नियुक्ति संबंधित यूनियन या काउंसिल द्वारा की जाती है और यदि कोई यूनियन या काउंसिल नहीं है, तो कर्मचारी स्वयं कैंटीन समिति के लिए अपने प्रतिनिधि चुनेंगे।

(v) समिति का कार्यकाल आपसी सहमति से तय किया जाएगा। कर्मचारियों और अधिष्ठाता, दोनों पक्षों के समिति सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में बदले जाएंगे।

(vi) कैंटीन प्रबंधन समिति, कैंटीन प्रबंधक से परामर्श करके कैंटीन के संचालन के बारे में निर्णय लेती है।

17. फर्स्ट एड और मेडिकल उपकरण - धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (vii) के तहत: प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) हर कारखाने या उसके ऐसे हिस्से में जहां कर्मचारी काम करते हैं, पर्याप्त संख्या में फर्स्ट-एड बॉक्स या अलमारी उपलब्ध हो और उनमें जरूरी सामान हो ताकि काम के समय वे आसानी से उपलब्ध रहें।
- (2) हर शिफ्ट में, हर फर्स्ट-एड बॉक्स या अलमारी की जिम्मेदारी फर्स्ट-एड ट्रीटमेंट का प्रमाणपत्र रखने वाले ऐसे किसी कर्मचारी या सुपरवाइजर को दी जाएगी, जो फैक्ट्री या उसके किसी हिस्से के काम के घंटों के दौरान हमेशा उपलब्ध रहे। हर विभाग या सेक्शन में कम से कम एक पूरी तरह से सुसज्जित फर्स्ट-एड बॉक्स या अलमारी होनी चाहिए और काम के घंटों के दौरान उसका रखरखाव ठीक से किया जाना चाहिए। अगर विभाग या सेक्शन में 200 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, तो फर्स्ट-एड बॉक्स की संख्या बढ़ानी होगी। हर फर्स्ट-एड बॉक्स या अलमारी में रखे सामान की एक उदाहरण सूची अनुबंध-I में संलग्न है और अधिष्ठाता अपनी ज़रूरत के अनुसार और सामान भी रख सकता है।
- (3) किसी कारखाने में कम से कम 33 प्रतिशत कर्मचारियों को फर्स्ट-एड की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और हर 3 साल में उन्हें फिर से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जहां महिला कर्मचारी काम करती हैं, वहां कम से कम एक महिला कर्मचारी को भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। फर्स्ट-एड ट्रेनिंग भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची-I, अनुसूची-II या अनुसूची-III के भाग-II में शामिल चिकित्सा योग्यता वाले ट्रेनर द्वारा दी जानी चाहिए। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची-III के भाग-II में शामिल योग्यता वाले व्यक्ति को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 13(3) या 2019 के नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) एक्ट के अध्याय-VI में उल्लिखित शर्तों को भी पूरा करना होगा। इसके अलावा, उनके पास इंडस्ट्रियल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, इमरजेंसी मेडिसिन या समकक्ष में डिप्लोमा या डिग्री भी होनी चाहिए।
- (4) काम के दौरान होने वाली हर चोट या बीमारी की सूचना कारखाने के सुपरवाइजर को दी जाएगी, ताकि

चोट या बीमारी पर नजर रखी जा सके। साथ ही, कारखाने में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, जिन्हें झूटी के दौरान गंभीर चोट लगती है या बीमारी होती है, या जिन्हें फर्स्ट-एडर के अनुसार इलाज की आवश्यकता होती है। ऐसे कर्मचारियों को तुरंत कारखाने या उसके आस-पास के इलाके की नजदीकी डिस्पेंसरी या अस्पताल पहुंचाया जाएगा।

- (5) काम के दौरान चोट लगने पर हर कर्मचारी को यह बात फर्स्ट-एड का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या सुपरवाइजर को बतानी चाहिए जो घायल व्यक्ति को आवश्यक फर्स्ट-एड उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। यदि चोट लगने वाला कर्मचारी फर्स्ट-एड का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या सुपरवाइजर को यह जानकारी देने की स्थिति में नहीं है, तो यह उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी जिसे इस घटना के बारे में सबसे पहले पता चलता है कि वह यह जानकारी फर्स्ट-एड का प्रमाणपत्र रखने वाले कर्मचारी या सुपरवाइजर को दे।
- (6) यदि सुपरवाइजर की राय में चोट ऐसी है कि उसे तुरंत किसी योग्य चिकित्सक से इलाज की आवश्यकता है, तो वह तुरंत चिकित्सक को बुलाने की व्यवस्था करेगा या इस बारे में कारखाने के अधिष्ठाता या उसके प्रतिनिधि को सूचित करेगा।
- (7) यह अधिष्ठाता या उसके प्रतिनिधि का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कर्मचारी को जल्द से जल्द नजदीकी डिस्पेंसरी/अस्पताल पहुंचाया जाए, बेहतर होगा कि इसके लिए एक उचित एम्बुलेंस वाहन का उपयोग किया जाए।

18. धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (i) के तहत एम्बुलेंस कक्ष:- प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (1) पिछले कैलेंडर वर्ष में किसी भी एक दिन 500 से अधिक कर्मचारियों वाले हर कारखाने में, एक उपयुक्त एम्बुलेंस कक्ष या डिस्पेंसरी हो जो 24 घंटे या कार्य समय के दौरान, जैसी भी स्थिति हो, उपलब्ध हो और अच्छी हालत में हो। कारखाने का अधिष्ठाता आपातकालीन सेवाओं के लिए अस्पतालों से भी समझौता कर सकता है।
- (2) एंबुलेंस कक्ष का मतलब है कारखाने परिसर में या उसके आस-पास एक सुविधाजनक स्थान, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए पर्याप्त जगह और सुविधाएं हों और जिसमें कम से कम वह उपकरण हों जो **अनुबंध -II** में दी गई सूची में बताए गए उपकरण हो। अधिष्ठाता आवश्यकतानुसार और भी सामान जोड़ सकता है।
- (3) एंबुलेंस कक्ष की देखरेख एक पूर्णकालिक योग्य मेडिकल प्रैक्टिशनर करता है, जिसे अधिष्ठाता द्वारा सीधे नियुक्त किया जाता है और उसकी सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ (कम से कम एक नर्स और एक जनरल झूटी असिस्टेंट-हेल्थकेयर/नर्सिंग असिस्टेंट) भी होते हैं।
- (4) उप-नियम (3) के तहत नियुक्त किए जाने वाले मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की पहली या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल कोई मेडिकल योग्यता होनी चाहिए। तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता वाले व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के खंड 13(3) में उल्लिखित शर्त या नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) अधिनियम 2019 के अनुसार या इंडस्ट्रियल/ऑक्यूपेशनल हेल्थ में डिप्लोमा/डिग्री या समकक्ष योग्यता पूरी करनी होगी।
- (5) उप-नियम (3) के तहत नियुक्त की जाने वाली योग्य नर्स के पास राज्य नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत योग्यता होनी

चाहिए और उसे बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, साथ ही उसे किसी मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल में कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी का अनुभव भी होना चाहिए।

- (6) एम्बुलेंस कक्ष में मरीज की निजता और जांच के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
- (7) एंबुलेंस कक्ष में इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था और एक उपयुक्त संचार उपकरण (संभव हो तो हाथ में रखने वाला डिवाइस) उपलब्ध होनी चाहिए।
- (8) एंबुलेंस कक्ष में काम की प्रकृति के अनुसार, शावर पॉइंट लगाए जाते हैं, जिनसे पानी की निकासी आसानी से हो सके। लगातार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शावर में पानी की आपूर्ति का प्रबंध किया जाना चाहिए।

19. धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (iii) के तहत आश्रय स्थल और विश्राम कक्ष: - हर कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि: -

- (1) हर उस कारखाने में, जहाँ आमतौर पर 50 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ कर्मचारियों के भोजन करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त लंचरूम होना चाहिए, जिसमें पीने के पानी और हाथ-पैर धोने की सुविधा भी हो।
- (2) ये सुविधाएं पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए अलग-अलग उपलब्ध कराई जाती हैं और उनका रखरखाव किया जाए बशर्ते कि नियम 16 के तहत प्रावधानों के अनुसार बनाई गई किसी भी कैंटीन को इस नियम का पालन माना जाएगा।
- (3) आश्रम स्थल या विश्राम कक्ष और लंच रूम में निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए:
- (i) ऐसे कमरे पर्याप्त रोशनी वाले और हवा-दार हों और हमेशा साफ-सुथरे और स्वच्छ स्थिति में रखें जाए।
- (ii) सभी दीवारें और छत उपयुक्त गर्मी प्रतिरोधी सामग्री की बनी हों;
- (iii) ऐसे कमरे की छत फर्श से उचित ऊंचाई पर हो और उसमें उस समय काम कर रहे कर्मचारियों के लिए पर्याप्त जगह हो;
- (iv) हर कमरे में बैठने और खाने के लिए उचित फर्नीचर हो।

20. धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (iv) के अंतर्गत कल्याण अधिकारी - प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि:

- (1) कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति निम्नानुसार विहित तरीके से की जाए:
- (i) दो सौ पचास से पांच सौ कामगारों को रोजगार देने वाले प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता कम से कम एक कल्याण अधिकारी नियुक्त करे है, और जहां कामगारों की संख्या पांच सौ से अधिक है, वहां प्रत्येक अतिरिक्त पांच सौ कामगारों या पांच सौ से अधिक कामगारों के अंश के लिए एक अतिरिक्त कल्याण अधिकारी नियुक्त किया जाए।
- (ii) किसी कारखाने में जहां पुरुष और महिला दोनों कामगार कार्यरत हैं, वहां नियुक्त की जाने वाली महिला कल्याण अधिकारियों की संख्या नियोजित महिला कामगारों के अनुपात में होगी और जहां नियोजित महिलाओं की संख्या एक सौ से अधिक है और महिला कामगारों की कुल संख्या एक हजार से अधिक नहीं है, वहां एक अतिरिक्त महिला कल्याण अधिकारी नियुक्त की जाए।
- (iii) जहां एक से अधिक कल्याण अधिकारी नियुक्त हों, उनमें से एक को मुख्य कल्याण अधिकारी तथा अन्य को कल्याण अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाए।

(2) योग्यताएं

कल्याण अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति ने इस संबंध में केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सामाजिक कार्य या मानव संसाधन प्रबंधन या श्रम कल्याण में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया हो; तथा उसे कारखाने में अधिकांश कामगारों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का ज्ञान हो।

(3) कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की सूचना.-

अधिष्ठाता द्वारा नियुक्ति की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता को दी जाए, जिसमें नियुक्त अधिकारी की योग्यता आदि का विवरण तथा उसकी सेवा की शर्तें दी जाए।

(4) कल्याण अधिकारियों की सेवा शर्तें.-

(i) कल्याण अधिकारी को कारखाने के अन्य कार्यपालकों के अनुरूप उचित दर्जा दिया जाए और उसे कार्यपालक/अधिकारी वेतनमान पर नियुक्त किया जाए।

(ii) कल्याण अधिकारी की सेवा शर्तें कारखाने में समतुल्य दर्जे के अन्य कार्यपालकों/अधिकारियों के समान होती हैं:

बशर्ते कि, सेवामुक्ति या बर्खास्तगी के मामले में कल्याण अधिकारी को मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के पास अपील करने का अधिकार होगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा तथा अधिष्ठाता पर बाध्यकारी होगा।

(5) कल्याण अधिकारी के कर्तव्य:

(i) कारखाना प्रबंधन और कामगारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से संपर्क स्थापित करना और परामर्श करना;

(ii) कामगारों की शिकायतों को कारखाना प्रबंधन के ध्यान में लाना ताकि उनका शीघ्र निवारण सुनिश्चित किया जा सके और प्रबंधन एवं कामगारों के बीच संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करना;

(iii) कामगारों के दृष्टिकोण का अध्ययन और उसे समझना ताकि कारखाना प्रबंधन को श्रम नीतियों को आकार देने और तैयार करने में सहायता मिल सके और इन नीतियों की व्याख्या कामगारों को उनकी समझ में आने वाली भाषा में की जा सके;

(iv) कार्य घंटों के विनियमन, प्रसूति प्रसुविधा, चिकित्सा देखभाल, चोट लगने और बीमारियों के लिए मुआवजे और अन्य कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा लाभों से संबंधित अनुपालन, दायित्वों, वैधानिक या अन्य पर सलाह देना;

(v) कल्याणकारी सुविधाओं जैसे आवास सुविधाओं, खाद्य पदार्थों, सामाजिक और मनोरंजक सुविधाओं, स्वच्छता, व्यक्तिगत कार्मिक समस्याओं और बच्चों की शिक्षा के प्रावधान पर सलाह देना; और

(vi) नए भर्ती हुए कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं, स्थानांतरण और पदोन्नति वाले कामगारों, प्रशिक्षकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण, नोटिस बोर्ड और सूचना बुलेटिनों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के बारे में कारखाना प्रबंधन को सलाह देना ताकि कामगारों की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके और तकनीकी संस्थानों में उनकी उपस्थिति को प्रोत्साहित किया जा सके।

(6) कल्याण अधिकारी अनुशासनात्मक मामलों का निपटान नहीं करेंगे या कामगारों के विरुद्ध प्रबंधन की ओर से पेश नहीं होंगे या कारखाना प्रबंधन की ओर से सुलह अधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष पेश नहीं होंगे।

21. धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन क्रेच सुविधा:- प्रत्येक कारखाने का अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) प्रत्येक कारखाने में, जहाँ सामान्यतः 50 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, कर्मचारियों के छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए एक क्रेच सुविधा प्रदान की जाए और उसका रखरखाव किया जाए।
- (2) जहाँ भी आवश्यकता हो, मोबाइल क्रेच उपलब्ध कराया जाएगा।
- (3) प्रत्येक क्रेच सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए निःशुल्क और सुलभ होगी;
- (4) क्रेच यथासंभव कार्यस्थल के भीतर या किसी निकटवर्ती सुलभ स्थान पर स्थित होना चाहिए;
- (5) क्रेच भवन निर्माण स्थल के किसी ऐसे भाग के निकट स्थित नहीं होना चाहिए जहाँ से हानिकारक धुआँ, धूल या दुर्गंध निकलती हो या जहाँ अत्यधिक शोरगुल वाली प्रक्रियाएँ चलती हों;
- (6) क्रेच में या उसके आस-पास बच्चों और उनके कपड़ों की धुलाई के लिए एक उपयुक्त शौचालय हो;
- (7) क्रेच को स्वच्छ, स्वास्थ्यकर और स्वच्छतापूर्ण स्थिति में रखा जाए;
- (8) बच्चे की व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जाए।
- (9) क्रेच बच्चों और शिशुओं की देखभाल के लिए अधिमानतः महिला के अधीन हो;
- (10) क्रेच के प्रभारी, सहायक कर्मचारी और गार्ड का पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।
- (11) शिशुगृह के प्रभारी व्यक्ति के पास बच्चे की पहचान, निवास का पता आदि की जानकारी हो और इसका रखरखाव किया जाए।
- (12) शिशुगृह में बच्चे को लाने और छोड़ने वाले व्यक्ति का विवरण देखभालकर्ता के पास उपलब्ध होना चाहिए और बच्चे को केवल उसी व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। यदि कोई अन्य व्यक्ति बच्चे को लेने या छोड़ने जाता है तो माता-पिता की अनुमति के साथ उसकी पहचान आवश्यक होगी।
- (13) सुबह बच्चे के आगमन पर और बच्चे को लेने के समय सभी बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जाए।
- (14) शिशुगृह में रहने के दौरान प्रत्येक बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में साफ कपड़े, साबुन और साफ तौलिए उपलब्ध हों;
- (15) शिशुगृह में आराम करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो;
- (16) सभी बच्चों को उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार पौष्टिक, सम्पूर्ण और स्वास्थ्यकारी भोजन की पर्याप्त आपूर्ति की जाए;
- (17) कैंची, चाकू, ब्लेड, पिन आदि जैसी सभी नुकीली चीजें बच्चों से हमेशा दूर रखी जाए।
- (18) डिटर्जेंट, सफ़ाई एजेंट, फ़िनाइल आदि जैसे रसायन बच्चों की पहुँच से दूर रखे जाए।
- (19) शिशुगृह में बचे हुए खाने या अन्य अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए गैर-दहनशील ढके हुए पात्र उपलब्ध कराए जाएं;
- (20) सभी बिजली के स्विच/प्लग बच्चों की पहुँच से दूर रखे जाए।
- (21) निकासी योजना की योजना बनाना और उसे शिशुगृह में प्रदर्शित करना।
- (22) शिशुगृह में किसी भी समय यहाँ तक कि अवकाश के दौरान भी किसी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाए।
- (23) किसी भी प्रकार का मौखिक या शारीरिक दुर्व्यवहार सख्त वर्जित किया जाए।

- (24) किसी भी प्रकार के यौन दुर्व्यवहार और यौन शोषण से पाँक्सो अधिनियम के अंतर्गत सख्ती से निपटा जाए।
- (25) पर्यवेक्षक के माध्यम से शिशुगृह के कार्य समय के दौरान किसी भी समय, किसी भी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति को शिशुगृह के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए। उदाहरण के लिए सिविल कार्य केवल सप्ताहांत/छुट्टियों के दौरान ही किए जाए।
- (26) शिशुगृह में कार्य समय के दौरान सीसीटीवी निगरानी हो।
- (27) महत्वपूर्ण और आपातकालीन संपर्क नंबर (जैसे 112, 1098, अग्निशमन सेवा, बाल संरक्षण अधिकारी, निकटतम पुलिस स्टेशन आदि जैसी हेल्पलाइन) शिशुगृह परिसर में आसान पहुँच और संदर्भ के लिए प्रदर्शित किए जाएं।
- (28) आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रणाली/कर्मचारी कॉल पर उपलब्ध हो।

22. धारा 24(2)(vii) के अंतर्गत माँक ड्रिल

प्रत्येक फैक्ट्री का अधिष्ठाता को विभिन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए माँक ड्रिल का त्रैमासिक आयोजन सुनिश्चित करेगा।

अनुबंध - I

नियम 17(2) के तहत फर्स्ट एड बॉक्स की सामग्री की सूची: -

1. उचित संख्या में छोटे, मध्यम और बड़े आकार के स्टरलाइज़्ड ड्रेसिंग पैड
2. उचित संख्या में बड़े आकार के स्टरलाइज़्ड बर्न ड्रेसिंग पैड
3. उचित संख्या में स्टरलाइज़्ड कॉटन के पैकेट
4. पर्याप्त मात्रा में सेट्रिमाइड सोल्यूशन (1%-3%) या उपयुक्त एंटीसेप्टिक सोल्यूशन (10% पोविडोन आयोडीन)
5. कैंची, ट्वीज़र, टूर्निकेट और डिस्पोजेबल दस्ताने
6. अलग-अलग साइज़ के पर्याप्त एडहेसिव टेप और एडहेसिव बैंडेज टेप।
7. अलग-अलग साइज़ के पर्याप्त इलास्टिक क्रेप बैंडेज।
8. स्टरलाइज़्ड आई पैड।
9. एनाल्जेसिक (पैरासिटामोल-650 मिलीग्राम) और एंटासिड स्ट्रिप्स तथा पर्याप्त संख्या में ओआरएस सैशे।
10. पेन रिलीफ / एनाल्जेसिक स्प्रे
11. पॉलीथीन वॉश बोतलें (सामान्य सेलाइन या डिस्टिल्ड वॉटर)
12. अलग-अलग साइज़ के की पर्याप्त रोलर बैंडेज
13. उपयुक्त सिंलंट।
14. रेससिटेशन एक्जुपमेंट जैसे एम्बू बैग।
15. डिस्पिन, सॉबिट्रिट जैसी गोलियाँ।
16. एंटी-एलर्जिक दवाएँ, आई ड्रॉप्स।
17. फर्स्ट एड लीफलेट की एक प्रति जिसमें आस-पास के अस्पतालों के आपातकालीन संपर्क नंबर शामिल हों।

अनुबंध- II

नियम 18(2) के अनुसार एम्बुलेंस कक्ष के लिए उपकरणों की सूची:-

1. गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति वाला ग्लेज़्ड सिंक
2. कुर्सियां एवं मेज़, रेफ्रिजरेटर
3. चिकित्सा उपकरणों के स्टरलाइज़ेशन के लिए उपयुक्त सोल्यूशन या उपकरण
4. रोगी की जाँच के लिए मेज़ या सोफ़ा जिसमें तकिया, धोने योग्य रबर शीट, कंबल, तौलिया हो
5. उचित संख्या में मध्यम आकार के स्पंज फोर्सप्स
6. किडनी ट्रे
7. एंटीसेप्टिक साबुन
8. क्लिनिकल थर्मामीटर
9. हैंड टॉच
10. पर्याप्त संख्या में टिटनस टॉक्सॉइड इंजेक्शन
11. गोलियाँ - एंटीहिस्टामिनिक, एंटीस्पास्मोडिक, एंटीपायरेटिक (पैरासिटामोल), एंटासिड, एंटीमेटिक्स
12. गोलियाँ - आइसोसोर्बाइड डाइनित्रेट (5 मिग्रा), एस्पिरिन (75 मिग्रा) + एटोरवास्टेटिन (20 मिग्रा) + क्लोपिडोग्रेल (75 मिग्रा)
13. ओआरएस सैशे
14. इंजेक्शन: एट्रोपाइन, एड्रेनालिन, हाइड्रोकोर्टिसोन, फ़्यूरोसेमाइड, लोकल एनेस्थेटिक्स
15. अलग-अलग साइज़ के सुई सहित डिस्पोजेबल धारक सुई और नीडल होल्डर
16. टांका लगाने वाली सुइयाँ और सामग्री
17. एक जोड़ी डाइसेक्टिंग फोर्सप्स
18. एक जोड़ी ट्रेसिंग फोर्सप्स
19. एक जोड़ी आर्टरी फोर्सप्स
20. सर्जिकल कैंची
21. स्केलपेल
22. स्टेथोस्कोप
23. रबर बैंडेज - प्रेशर बैंडेज
24. आवश्यक अटैचमेंट के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर/ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
25. एक ब्लड प्रेशर मशीन
26. उचित संख्या में सामान्य सेलाइन की बोतल, रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन , 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन , 25% डेक्सट्रोज सोल्यूशन ।
27. हरा (18 जी), गुलाबी (20 जी) और नीला (22 जी) इंट्रावीनस (IV) कैनुला और उपयुक्त फिक्सेटर
28. डिस्पोजेबल इंट्रावीनस इन्फुशन सेट
29. इंट्रावीनस इन्फुशन स्टैंड
30. ब्लड ग्लूकोस की मोनिटरिंग किट

31. वैधानिक आवश्यकता के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन बिन
32. पर्याप्त संख्या में उचित आकार के सादे लकड़ी के स्प्रिंट या कोई अन्य उपयुक्त स्प्रिंट
33. व्हीलचेयर
34. स्कूप स्ट्रेचर
35. पर्याप्त छोटे, मध्यम और बड़े आकार के स्टरलाइज़्ड ड्रेसिंग
36. पर्याप्त स्टरलाइज़्ड बर्न ड्रेसिंग
37. स्टरलाइज़्ड कॉटन के पर्याप्त पैकेट
38. एंटीसेप्टिक सोल्यूशन जैसे सेट्रिमाइड (1%-3%) या पोविडोन आयोडीन (10%) सोल्यूशन
39. अलग-अलग साइज़ के एडहेसिव बैंडेज और एडहेसिव टेप।
40. अलग-अलग साइज़ के इलास्टिक क्रेप बैंडेज
41. पर्याप्त मात्रा में स्टरलाइज़्ड आई पैड।
42. अलग-अलग साइज़ के पर्याप्त रोलर बैंडेज।
43. टूर्निकेट
44. डिस्पोजेबल दस्ताने
45. ट्वीज़र
46. पल्स ऑक्सीमीटर।
47. उपयुक्त सक्शन यूनिट और उपकरण।
48. रेससिटेशन उपकरण, जैसे स्वचालित एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर और एम्बू बैग।
49. विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार फ़ैक्टरी चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुशंसित कोई अन्य उपकरण।

[फा. सं. एस.65025/01/2020-आईएसएच-II]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2025

G.S.R. 708(E).— The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of powers conferred by Sections 23 & 24 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020) are hereby notified as required by sub-section (1) of Section 134, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of 45 days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public; Objections and suggestions, if any, may be addressed to Shri Ravishankar Nirala, Under Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, Room No: 17, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi or by email (fas@dgfasli.nic.in and ravis.nirala@nic.in). The objections and suggestions should be sent in a proforma containing columns (i) specifying the name and address of the persons and organizations and column (ii) specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified and column (iii) specifying the revised rule or sub rule proposed to be submitted and the reasons therefore; Objections and suggestions, which may be received from any person or organization with respect to the said draft notification before expiry of a period of 45 days, specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules prescribed under section 23 & 24 of the OSH&WC Code, 2020 for factory workers.

1. **Short title, extent and commencement** (i) These rules may be called the Factories Workers Rules, 2020... under Section-23 & 24 of the Occupational Safety, Health, And Working Conditions Code, 2020.
- (ii) They extend to whole of India.
- (iii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette on the date of commencement of the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

2. Definition. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Code” means the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020;

(b) “Officer In charge Canteen” means the person (other than manager) appointed by the occupier, owner for agent or securing compliance with the provision in respect of canteens under the code.

(c) “Section” means the Section of the Code.

(d) “Annexure” means list annexed to these rules;

(2) The words and expressions used in these Rules and are not defined herein, but are in the Code, shall have respectively meaning assigned to them in the Code.

3. Cleanliness and hygiene under clause (i) of sub-section (2) of section 23: Occupier of every factory shall ensure that: -

- (1) All workplaces, workrooms, passageways, staircases, storerooms and service rooms are kept in sanitary and hygienic condition.
- (2) Surfaces of walls and ceilings, including windows and skylights, are always kept clean and maintained in a hygienic condition.
- (3) The floor of every workroom is maintained in a clean and, so far as is reasonably practicable, dry and non-slippery condition.
- (4) Where wet work processes are carried out—
 - (i) effective drainage is maintained;
 - (ii) false floors, platforms, mats or other dry standing places are provided; and
 - (iii) suitable anti-skid footwear for use while at work in such place are provided without expense to the employees.
- (5) Workrooms are cleaned as often as required by the nature of the work carried on.
- (6) As far as practicable, sweeping and cleaning are done—
 - (i) during intervals between work; and
 - (ii) in such a manner as to prevent the raising of dust.
- (7) Where, for technical reasons, cleaning must be carried out during working hours, appropriate means are used and precautions are taken to avoid contamination of the air with dust or other obnoxious substances.

- (8) Suitable arrangements for daily collection, storage, disposal or treatment of every type of waste are made under the effective supervision.

4. Ventilation, Temperature and Humidity under clause (ii) of sub-section (2) of section 23:

Occupier of every factory shall ensure that: -

- (1) Suitable atmospheric conditions are maintained in workplaces, by natural or artificial means, to avoid insufficient air supply, stagnant or vitiated air, harmful draughts, excessive heat or cold, sudden variations in temperature, and where practicable, having regard to the nature of the processes carried on, to avoid excessive humidity or dryness, and objectionable odours.
- (2) Steps are taken as are necessary to provide at all workplaces of the factory, adequate ventilation to clear away smoke and fume, steam and dust, to dilute gases that are inflammable or noxious so as to render them harmless.
- (3) Adequate and sufficient measures are taken to protect the employees from exposing to extreme weather conditions by suitably changing the working hours, providing protective clothes or other suitable provisions, as necessary free of charge.
- (4) Where an adequate supply of fresh air cannot be obtained by natural ventilation, or where it is difficult to get the desired amount of air to the workroom without creating uncomfortable draughts near the inlets, mechanical ventilation is provided.
- (5) Where Local heating apparatus, as may be necessary owing to the nature of work, are installed in workrooms, the layout of the apparatus in the room shall be such that combustion gases are prevented from entering the atmosphere of the room.
- (6) Temperature suitable for the type of work performed is maintained in workrooms and the degree of humidity be maintained for comfort of the workers.
- (7) Where owing to the nature of work, excessive high temperatures are generated, all employees shall be protected, either by heat insulation of the equipment or by other suitable means, against heat radiation and excessive temperature generated due to steam or hot-water pipes or other hot surfaces.

5. Precaution against dust under clause (iii) of sub section (2) of section 23 – Occupier of every factory shall ensure that: -

- (1) Wherever exhaust systems for removal of flammable fumes, gases, mists, vapors or residues are required to be installed, they are not to be connected to any other ventilating system or discharged into a chimney or flue used for conveying gases of combustion.
- (2) When fumes, gases, mists, vapors, dust and other refuse discharged from exhaust systems is likely to have adverse effect on the health or noxious for the employees or the neighborhood, the exhaustion shall be effected through a system that neutralizes toxic substances, sterilize infectious substances and deodorize fumes, gases, mists or vapors.
- (3) No employee is required or allowed to enter any workplace or confined space until practicable measures have been taken to bring the levels of noxious gas, fume, vapour or dust, which may be present, within the permissible limits.

6. Artificial humidification under clause (iv) of sub section (2) of section 23— Occupier of every factory, where artificial humidification is used for the manufacturing process, shall ensure that: -

- (1) If employees are exposed in all or some of their tasks to extreme heat and high humidity, and the hazard cannot be eliminated, then the risks to safety and health shall be assessed and the controls necessary to reduce the hazard or risks shall be effected.
- (2) The above risk assessment takes into account including the use of protective clothing against hazardous substances that can increase the risk of heat stress, and also that respiratory protectors are uncomfortable and less likely to be used in extremely hot working environments.
- (3) Where part of the risk arises from the metabolic heat produced during work or from direct exposure to sunlight and high outdoor air temperatures, and when other methods of eliminating the risk are impracticable, a work-rest cycle for exposed employees, preferably in a shaded, air-conditioned or cooler resting space shall be provided to allow the employee to recover.
- (4) To maintain hydration, sufficient quantities of drinking water, with the proper electrolytes, where appropriate, are provided at easily accessible places.
- (5) Where a residual risk of heat stress remains even after all the practical control measures have been taken, employees are to be adequately supervised so that they can be withdrawn from the hot and humid conditions if symptoms occur. Also, that first-aid facilities, and staff is trained in the use of such facilities, are available.
- (6) Employees exposed to extreme hot and humid conditions are instructed and trained:
 - (iii) to recognize symptoms which may lead to heat stress, in themselves or others, and the steps to be taken to prevent onset and or emergencies; and
 - (iv) in the action to be taken in the event of the increased risk of accidents because of high temperatures or humidity.
- (7) Tests for determining the relative humidity of the air are carried out and recorded and if humidity level of the air is found to be harmful to the health of employees, it is artificially regulated in such a manner that humidification and temperature do not cause discomfort to employees and the water used for the purpose is taken from public supply or other source of drinking water or is purified before it is so used.
- (8) Instruments for measurement and recording of humidity and temperature at appropriate location are provided and maintained.

7. Potable drinking water - under clause (v) of sub-section (2) of section 23: -Occupier of every factory shall ensure that: -

- (1) Adequate supply of clean, wholesome and safe drinking water is provided for, and be readily accessible to, all employees in all workplaces.
- (2) Any supply of drinking water other than the piped supply is contained in suitable vessels clearly marked or displayed in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees, to indicate that the water is safe for drinking and such supply is replenished daily and all necessary precautions are taken to preserve the water and vessels from contamination;
- (3) Except where the water is delivered by a rising jet, the use of common drinking tumblers or cups is

prohibited.

- (4) Where water is unsafe for drinking purposes, or is provided for use in industrial processes or other purposes, it is to be so indicated in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees,

8) Overcrowding -under clause (vi) of sub-section (2) of section 23:

Occupier of every factory shall ensure that: -

- (1) The floor space in any building is not crowded with machinery in a manner dangerous to employees, or be overcrowded with materials or products so as to constitute a menace to them.
- (2) Sufficient space is provided around the individual machines or process units to allow for normal operation, adjustments, ordinary repairs, for materials supplied, in process, or completed.
- (3) Adequate provisions are made to prevent overcrowding at any place where employees are required to work or assemble for any reason in the factory premises, including:
 - (i) Design and use of signs or symbols that indicate and illustrate overcrowding related hazards in all working areas specifying the number of employees allowed to work at such places at any one time;
 - (ii) Vehicle and pedestrian pathways are kept separated using barriers indicated by distinctive colours and
 - (iii) Deployment of vehicles are managed effectively and overcrowding is avoided.

9. Lighting (Illumination) - under clause (vii) of sub-section (2) of section-23:

Occupier of every factory shall ensure that: -

- (1) All places in the factory including all amenities for utility services where employees work or pass, or may have to work or pass in emergencies, are provided during time of use with adequate natural or artificial lighting, or both, suitable for the operations and the special type of work performed. Natural lighting is arranged wherever possible.
- (2) Artificial lighting is provided or arranged when daylight fails or for areas where the daylight illumination is insufficient.
- (3) At every work place where employees are exposed to risks in the event of failure of artificial lighting, are provided with automatic emergency lighting of sufficient intensity that should have energy sources independent of the installations for the general lighting systems.

10. Latrine and urinal accommodation under clause (viii) of sub-section (2) of section23: Occupier of every factory shall ensure that: -

- (1) (i) In every work place of a factory, sufficient latrine and urinal accommodation are provided at conveniently accessible places separately for the use of male, female, transgender and person with disabilities employees.
 - (ii)Such accommodation is sufficiently lighted and ventilated and maintained in a clean and sanitary condition at all times.
- (2) (i) Floor of the latrine, urinal and the sanitary blocks are maintained in non-slippery condition.
 - (ii)The internal walls of the latrines, urinals and the sanitary blocks are laid in glazed tiles. Alternatively, internal walls of the latrines and urinals are finished in such a manner to provide a smooth, polished and impervious surface to facilitate cleanliness and hygiene;

(iii) Sanitary pans of latrines and urinals are kept washed and cleaned at all times.

- (3) At least one separate latrine accommodation, for every 25 male and 15 female employees, and at least one separate latrine accommodation each for person with disabilities employees and for transgender employees is provided and at least one urinal for every 15 males employed at the same time. Sufficient water supply is provided in every latrine and urinal accommodation.
- (4) Washbasin facility with tap water is made available.
- (5) Sanitary napkins in sufficient quantity are provided and maintained in the women's toilets for their use and the same are to be replenished on a daily basis.
- (6) Disposable bins with lids are provided within the women's toilets for the collection of the used sanitary napkins. The used napkins are safely disposed off. Disposable bins with lids shall also be provided within the toilets for men, transgender and person with disabilities.
- (7) Every latrine is kept under cover and so partitioned off as to secure privacy, and to have a proper door, fastenings and exhaust.
- (8) Where male, female, transgender and person with disabilities are employed, outside each latrine block a notice "For men only" or "For women only" or "For transgender persons only" or "For persons with disabilities only", as the case may be, in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees, are displayed.
- (9) Waste or sullage water from latrines and urinals is treated and safely disposed off.
- (10) Water taps in latrines-
 - (i) where piped water supply is available, water taps are to be provided in or near such latrine accommodation; and
 - (ii) if piped water supply is not available, water is provided by the means of tap or otherwise so as to be conveniently accessible in or near the latrine and urinals.

11. Treatment of waste and effluents under clause (ix) of sub-section (2) of section 23: -Occupier of every factory shall ensure that: -

- (1) Proper arrangements for discharging liquid effluents and gaseous emission, and disposal of solid waste generated in the factory are made.
- (2) Effective arrangements are made for the treatment of wastes and effluents by ensuring compliance with the safety and health requirements.
- (3) Hazards and risks with the handling, storage and processing of wastes and effluents are identified and appropriate preventive and control measures are implemented.
- (4) Appropriate personal protective equipment (PPE) based on risk assessment of handling the waste and effluents are provided, free of charge; and
- (5) Employees handling the wastes and effluents are trained on the identified hazards and risks.

12. Washing facility - under clause (i) of sub-section (1) of section 24: Occupier of every factory shall ensure that: -

- (1) Suitable and sufficient washing facilities at easily accessible places are provided with regular and adequate supply of water including soap, towels separately for male, female, transgender and person with disabilities employees, which are:
 - (i) separated from the workplaces;
 - (ii) Well ventilated;

- (iii) With proper drainage system;
- (iv) maintained in a sanitary and hygienic condition;
- (v) capable of being secured from inside to secure privacy and have a proper door, fastenings;
- (vi) Appropriately demarcated with "For men only" or "For women only" or "for transgender persons only" or "For persons with disabilities only", as the case may be, in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees, are displayed outside.

(2) The use of common towels is prohibited.

13. Provisions of bathing places and locker rooms under clause (ii) of sub-section (1) of section-24:

Occupier of every factory shall ensure that: -

- (1) Suitable, separate and sufficient bathing places and locker facility, as may be necessary owing to the nature of work, at easily accessible places with regular and adequate supply of water including soap and towels for male, female, transgender and persons with disabilities separately, are provided which are: -
 - (i) separated from the workplaces;
 - (ii) well ventilated;
 - (iii) with proper drainage system;
 - (iv) maintained in a sanitary and hygienic condition;
 - (v) capable of being secured from inside to secure privacy and have a proper door, fastenings;
 - (vi) Properly demarcated with "For men only" or "For women only" or "For transgender persons only" or "For person with disabilities only", as the case may be, in Hindi, English and local language understood by the majority of the employees, are displayed outside
- (2) Suitable, separate locker facilities, as may be necessary owing to the nature of work, at easily accessible places for storing clothing that are worn during working hours and for special clothing which is worn by any employee at work but is not taken home, for male, female, transgender and persons with disabilities.

14. Place for keeping and drying clothing under clause (iii) of sub-section (1) of section 24 –Occupier of every factory shall ensure that: -

- (1) Suitable, separate and sufficient installations, as may be necessary owing to the nature of work, for male female, transgender and person with disabilities employees for keeping clothes not worn during working hours and drying them are available.
- (2) These installations are placed in rooms separate from the workrooms.
- (3) A changing room is provided with suitable facilities for all male female, transgender and person with disabilities employees, as may be necessary owing to the nature of work, for drying wet clothes and for hanging clothing including, where necessary to avoid contamination with poisonous, infectious, irritating or radioactive substances and are also provided suitable lockers for separating working clothes from street clothes.
- (4) When employees are engaged in processes of such a nature that their working clothes are liable to become wet or have to be washed between shifts, suitable arrangements are made to ensure that dry clothes are always available to each employee on his return to work.
- (5) These facilities are to be provided with—
 - (i) individual lockers of adequate size and with adequate ventilation;
 - (ii) benches or other suitable seating arrangements.

15. Sitting arrangement under clause (iv) of sub-section (1) of section 24:

Occupier of every factory shall ensure that reasonable arrangements for sitting without detriment to their work are provided to employees obliged to work in standing position. Adequate and comfortable seating facilities are provided for this purpose.

16. Provision of Canteens under clause (v) of sub-section (1) of section 24:

Occupier of every factory shall ensure that: -

- (1) At every factory where in 100 or more workers including contract labourers are ordinarily employed, a canteen in or adjacent to the precincts of the factory, is provided and maintained to provide nutritious, wholesome and healthy food for the employees;
- (2) The occupier of the factory can also provide facility of canteen through common canteen in or adjacent to factory premises;
- (3) The canteen is situated at appropriate distance from any latrine, urinal and process area to avoid dust, smoke or obnoxious fumes;
- (4) The canteen is constructed to accommodate at least a dining hall, kitchen, store room, pantry and washing places separately for employees and for utensils.
- (5) Canteen has separate doors for entry and exit.
- (6) Dining Hall
 - (i) The dining hall is separated from any place where a hazardous substance may contaminate food, dishes or utensils;
 - (ii) The dining hall is furnished with a sitting arrangement to accommodate sufficient number of employees normally using at any one time;
 - (iii) A portion of the dining hall and service counter is partitioned off and reserved for women employees and person with disabilities employees; and
 - (iv) Washing places for male, female, transgender and person with disabilities employees are separate and screened to secure privacy.
- (7) Equipment
 - (i) All equipment and utensils that come into contact with food are cleaned and maintained in hygienic condition;
 - (ii) Furniture and other equipment are maintained in a clean and hygienic condition.
- (8) Storage, Preparation and Handling of food
 - (i) Each food handler is trained and instructed in food handling practices that prevent the contamination of food; and
 - (ii) No person who is suffering from a communicable disease is allowed to work as a food handler.
- (9) Food waste and garbage are removed from the food preparation area or dining hall, stored in covered containers and disposed of periodically.
- (10) Food, drink and other items are sold on a no profit no loss basis wherein the rates are fixed by canteen management committee; and

- (11) The charges per portion of food items, beverages and any other items served in the canteen are displayed in the canteen.
- (12) Canteen Management Committee
- (i) A Canteen Managing Committee is constituted to carry out the following functions:
- the quality and the quantity of food stuffs to be served in the canteen;
 - the arrangements of the menu;
 - the timings of meals in the canteen; and
 - any other relevant matter

Provided that where the canteen is managed by a co-operative society registered under the Multi State Co-operative Societies Act, 2002 it shall not be necessary to appoint a Canteen Managing Committee.

(ii) The Canteen Managing Committee consists of an equal number of representative of employees and occupier;

(iii) the representatives of occupier are nominated by the occupier and

(iv) the representatives of worker are nominated by negotiating union or negotiating council as the case may be and where there is no negotiating union or negotiating council the employees will choose amongst themselves the worker representatives of the canteen committee.

(v) The tenure of the committee shall be determined mutually. One-third of the committee members of employees and occupier shall be rotated every two years.

(vi) The canteen managing committee decides on the running of the canteen in consultation with the canteen manager.

17. First Aid and Medical Appliances - under clause (vii) of sub-section (1) of section 24: -Occupier of every factory shall ensure that: -

- In every factory or part thereof where employees are at work, first aid boxes or cup-boards in adequate numbers with necessary items are provided and maintained so as to be readily accessible during working hours.
- In each shift, every first-aid box or cupboard is kept in the charge of a worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment and who is always be readily available during the working hours of the factory or part thereof. At least one fully equipped first-aid box or cupboard in every department or section is available and maintained properly all the time during working hours. The number of first aid boxes has to increase if the number of employees is more than 200 employees in department or section. The illustrative list of contents of every first-aid box or cupboard is **annexed at Annexure- I** and occupier may add more items as per requirement.
- At least 33 percent of the workers in a factory are trained in first-aid procedures and refreshers training to be imparted in every 3 years. Wherever woman workers are employed, at least one-woman worker is trained. First Aid training is conducted by the trainer having medical qualification included in the Schedule- I or Schedule- II or Part- II of the Schedule- III of the Indian Medical Council Act of 1956. The person possessing qualifications included in Part II of Schedule- III of the Indian Medical Council Act of 1956 should also fulfil the condition specified in section 13(3) of the Indian Medical Council Act 1956 or as per the Chapter- VI of National Medical Commission (NMC) Act 2019 or diploma or degree in Industrial

Health, Public Health, Emergency Medicine or equivalent.

- (4) Every case of injury or illness during the course of work is reported to the supervisor in the factory for injury and illness surveillance and adequate and suitable arrangements are made available for speedy evacuation or referral of persons employed in the factory who while on duty suffers from serious bodily injury or illness of a serious nature or as the nature of injury and illness as decided by the first aider, from the factory or part thereof to the nearest dispensary or hospital.
- (5) Every employee receiving an injury during the course of work shall report the same to the worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment and who shall make arrangements for rendering first-aid to the injured as may be required. Where the employee receiving an injury is not in a position to report the same to the worker or supervisor who holds a certificate in first-aid treatment, it shall be the duty of the person who first comes to know of it to report the same to the worker or supervisor.
- (6) If in the opinion of the supervisor, the injury is of such a nature so as to require immediate medical attention by the qualified medical practitioner, he shall arrange for the qualified medical practitioner to be called or bring it to the notice of the occupier or his representative in the factory.
- (7) It is the duty of the occupier or his representative to ensure that adequate and suitable arrangements are made available for speedy transportation of that employee to nearest dispensary/ hospitals preferably by means of a proper ambulance van.

18. Ambulance Room under clause (i) of sub-section (2) of section 24: - Occupier of every factory shall ensure that: -

- (1) At every factory employing more than 500 workers on any one day of the preceding calendar year, a suitable ambulance room or dispensary round the clock or during working hours as the case may be and is maintained in good order. The occupier of the factory may also tie up with hospitals for emergency services.
- (2) The ambulance room would mean a place conveniently located in or nearby factory premises and have adequate space and arrangements to cope up with medical emergency and contains at least the equipment as mentioned in illustrative list given in Annexure- II. The occupier may add more items as per requirement.
- (3) Ambulance Room is under the charge of a full time qualified medical practitioner appointed directly by the occupier and is assisted by adequate number of paramedical staffs (at least one nurse and one General Duty Assistant-Healthcare/Nursing Assistant).
- (4) The medical practitioner required to be appointed under sub-rule (3) has a medical qualification included in the I or II schedule or part II of the Third schedule of the Indian Medical Council Act of 1956. Persons possessing qualifications included in part II of Third schedule should also fulfil the condition specified in section 13(3) of the Act or as per the National Medical Commission (NMC) Act 2019 or Diploma/Degree in Industrial/Occupational Health or equivalent.
- (5) Qualified Nurse required to be appointed under sub-rule (3) shall have qualification registered under State Nursing Council and completed training in Basic Life Support (BLS) along with experience in emergency of not less than 6 months duration from a multispecialty hospital.
- (6) Ambulance Room is having adequate space for privacy and examination of the patient.
- (7) Ambulance Room is provided with Emergency Lighting Supply and a suitable communication medium preferably handheld device.
- (8) Ambulance Room is provided with drenching shower points, as may be necessary owing to the nature of work, with drainage sloping away from the showers. Water supply to drenching shower should be secured

to ensure the continuous water supply.

19. Shelter and Rest Room under clause (iii) of sub-section (2) of section 24: – Occupier of every factory shall ensure that: -

- (1) In every factory, wherein more than 50 workers are ordinarily employed sufficient and a suitable lunchroom, with provision for drinking water and washing facilities, where employees can eat their meals is provided.
- (2) These facilities are provided separately and maintained for male, female, and transgender employees.

Provided that any canteen maintained in accordance with the provisions under rule 16 shall be regarded as compliance of this rule.

(3) The shelters or rest rooms and lunch rooms conform to the following:

- (i) Such rooms are sufficiently lighted and ventilated and maintained in a clean and hygienic condition at all times.
- (ii) All the walls and roof are of suitable heat resisting materials;
- (iii) The roof of such room is at suitable height from the floor level and there is sufficient floor area for employee employed at any given time;
- (iv) Every room is sufficiently furnished with suitable seating and eating arrangement.

20. Welfare Officer under clause (iv) of sub-section (2) of section 24 – Occupier of every factory shall ensure that:

(1) Welfare Officers are appointed as prescribed below:

- (i) The occupier of every factory employing between two hundred and fifty and five hundred workers appoints at least one welfare officer, and where the number of workers exceeds five hundred, an additional welfare officer for every additional five hundred workers or fraction thereof over five hundred is appointed.
- (ii) In a factory where both male and female workers are employed, the number of women welfare officers to be appointed shall be in proportion to the women workers employed and where the number of women employed is more than one hundred and the total number of women workers does not exceed one thousand, an additional woman welfare officer is appointed.
- (iii) Where there is more than one welfare officer appointed, one of them is designated as the Chief Welfare Officer and the others as welfare officers.

(2) Qualifications

A person appointed as Welfare Officer has obtained a post graduate degree or diploma in social work or human resources management or labour welfare from any institution recognised by the Central or State Government in this behalf; and has knowledge of the language spoken by the majority of the workers in the factory.

(3) Intimation of appointment of Welfare Officers. -

The appointment is intimated by the occupier electronically or otherwise to Inspector-cum-Facilitator, giving the details of qualifications, etc. of the officer appointed and the conditions of his service.

(4) Conditions of service of Welfare Officers. -

(i) A Welfare Officer is given appropriate status corresponding to that of the other executives of the factory and he is appointed on an executive / officer pay scale.

(ii) The conditions of service of a Welfare Officer are the same as that of other members of the executives/officer of corresponding status in the factory:

Provided that, in the case of discharge or dismissal, the Welfare Officer will have a right of appeal to the Chief Inspector-cum-Facilitator, whose decision thereon is final and binding upon the occupier.

(5) The duties of a Welfare Officer:

(i) to establish contacts and hold consultations with a view to maintaining harmonious relations between the factory management and workers;

(ii) to bring to the notice of the factory management the grievances of workers with a view to securing expeditious redressal and to act as a liaison officer between the management and workers;

(iii) to study and understand the point of view of workers in order to help the factory management to shape and formulate labour policies and to interpret these policies to the workers in a language they can understand;

(iv) to advise on compliances, obligations, statutory or otherwise, concerning regulation of working hours, maternity benefit, medical care, compensation for injuries and sickness and other welfare measures and social Security benefits;

(v) to advise on provision of welfare facilities, such as housing facilities, foodstuffs, social and recreational facilities, sanitation, individual personnel problems and education of children; and

(vi) to advise the factory management on training of new recruits, apprentices, workers on transfer and promotion, instructors and supervisors, supervision and control of notice board and information bulletins to further education of workers and to encourage their attendance at technical institutes.

(6) Welfare officers shall not deal with disciplinary cases or appear on behalf of the management against workers or appear before a conciliation officer or tribunal on behalf of the factory management.

21. Crèche Facility under sub-section (3) of section 24 :- Occupier of every factory shall ensure that: -

- (1) In every factory wherein more than 50 workers are ordinarily employed, a crèches facility is provided and maintained for the use of children under the age of six years of employees.
- (2) Mobile crèche will be provided, wherever required.
- (3) Each Crèche facility is free and accessible to all employees;
- (4) The Crèche is located within the workplace as much as possible, or in a nearby accessible location;
- (5) The Crèche is not situated in close proximity to any part of the building and construction worksite where obnoxious fumes, dust or odours are given off or in which excessively noisy processes are carried on;
- (6) There is in or adjoining the crèche a suitable washroom for the washing of the children and their clothing;
- (7) The Crèche is maintained in a clean, hygienic and sanitary condition;
- (8) Personal cleanliness of the child is maintained.
- (9) The Crèche is under the charge preferably woman for the care of children and infants;

- (10) Police verifications of in charge of creche, support staff and guard are mandatory.
- (11) The person in charge of the crèche should have and maintain information about the child's identity, residential address etc.
- (12) Details of the person who is picking up and dropping the child to the creche should be available with the caretaker and the child should be handed over to that person only. In case any other person picks up or drops the child, then his/her identity with the authorization from parents would be necessary.
- (13) Attendance of all children is taken in the morning on the child's arrival as well as at the time when child is picked up.
- (14) Sufficient supply of clean clothes, soaps and clean towels is available for each child while the child is in the Crèche;
- (15) The Crèche is furnished with a suitable number of resting arrangements;
- (16) Sufficient supply of nutritious, wholesome and healthy food to all children as per their dietary requirements is provided;
- (17) All sharp objects like scissors, knives, blades, pins etc. are always kept away from the children.
- (18) Chemicals such as detergents, cleaning agents, phenyl etc. are kept out of the child's reach.
- (19) The Crèche is provided with non-combustible covered receptacles for the disposal of waste food or other waste material;
- (20) All electrical switches/plugs are out of children's reach.
- (21) Planning of evacuation plan and display of the same at the crèche.
- (22) No child is left alone at any point in the crèche, even during breaks.
- (23) Any kind of verbal or physical abuse is strictly prohibited.
- (24) Any kind of sexual abuse and sexual exploitation to be strictly dealt under POCSO Act.
- (25) Through the supervisor, that no persons, known or unknown be allowed inside the crèche at any point of time, during the functioning hours of the crèche. For example, civil work should preferably be done preferably during weekend/holidays only.
- (26) The Crèche has CCTV monitoring during the working hours.
- (27) Important and emergency contact numbers (helplines like 112, 1098, fire services, child protection officer, nearest police station etc.) are displayed within the creche premises for easy access and reference.
- (28) Required Medical support system / staff is made available on call.

22. Mock Drills under section 24 (2) (vii)

The occupier of every factory shall ensure quarterly conduct of Mock drills to check emergency preparedness to deal with various emergencies.

ANNEXURE- I

LIST OF CONTENTS OF FIRST AID BOX as provided under Rules 17(2): -

1. Appropriate number of small, medium and large sized sterilized dressings pads
2. Appropriate number of large size sterilized burn dressings pads
3. Appropriate number of packets of sterilized cotton
4. Sufficient quantity of Cetrimide solution (1%-3%) or a suitable antiseptic solution (10% Povidone Iodine)
5. Pair of scissors, Tweezers, Tourniquet and disposable gloves
6. Adequate adhesive Tapes and adhesive Bandage Tape of different sizes.
7. Adequate Elastic crepe bandages of different sizes.

8. Sterilized eye pads.
9. Strips containing analgesic (Paracetamol-650 mg) and Antacid and adequate number of ORS Sachets.
10. Pain relief / analgesic spray
11. Polythene wash bottles (Normal Saline or Distilled Water)
12. Adequate Roller bandages of different sizes.
13. Suitable splints.
14. Resuscitation equipment such as ambu bag.
15. Tablets such as Disprin, Sorbitrate.
16. Anti-allergic medicine, eye drops
17. One copy of First-aid leaflet which includes emergency contact numbers of nearby hospitals.

ANNEXURE- II

LIST OF EQUIPMENTS FOR AMBULANCE ROOM as provided under Rules 18(2):-

1. Glazed sink with hot and cold-water supply
2. Table with Chairs, Refrigerator
3. Suitable solution or Equipment for medical instruments sterilization
4. Patient Examination table or couch with pillow, Washable Rubber Sheets, Blankets, Towels
5. Appropriate number of Medium size sponge forceps
6. Kidney tray
7. Antiseptic soaps
8. Clinical thermometers
9. Hand torch
10. Adequate number of tetanus toxoid injection
11. Tablets – Antihistaminic, Antispasmodic, Antipyretic (Paracetamol), Antacid, Antiemetics
12. Tablets-Isosorbide Dinitrate (5 mg), Aspirin (75mg) + Atorvastatin (20mg) + Clopidogrel (75mg)
13. ORS Sachets
14. Injection: Atropine, Adrenalin, Hydrocortisone, Furosemide, local anaesthetics
15. Disposable Syringes with needles of different sizes and needle holder
16. Suturing needles and materials
17. Pair of dissecting forceps
18. Pair of dressing forceps
19. Pair of artery forceps
20. Surgical scissors
21. Scalpel
22. Stethoscope
23. Rubber bandage – pressure bandage
24. Oxygen cylinder/Oxygen Concentrator with necessary attachments

25. One Blood Pressure apparatus
26. Appropriate number of Normal Saline Bottle, Ringer Lactate Solution, 5% Dextrose Solution, 25% Dextrose Solution.
27. Green (18G), Pink (20G) and Blue (22G) Intravenous (IV) Cannula and suitable fixator
28. Disposable Intra venous Infusion Set
29. Intravenous Infusion Stand
30. Blood Glucose Monitoring Kit
31. Biomedical Waste Management Bins as per statutory requirement
32. Adequate number of Plain wooden splints of appropriate sizes or any other suitable splints
33. Wheelchair
34. Scoop stretcher
35. Adequate small, medium and large sterilized dressings
36. Adequate sterilized burn dressings
37. Adequate packets of sterilized cotton
38. Antiseptic solution like Cetrimide (1%-3%) or Povidone Iodine (10%) solution
39. Roll of adhesive bandages and adhesive Tapes of different sizes.
40. Elastic crepe bandages of different sizes.
41. Adequate Pieces of sterilized eye pad.
42. Adequate roller bandages of different sizes.
43. Tourniquet
44. Disposable gloves
45. Tweezers
46. Pulse Oximeter.
47. Suitable Suction unit with equipment
48. Resuscitation equipment such as Automated External Defibrillator and ambu bag.
49. Any other equipment recommended by the Factory Medical Officer according to the specific need.

[F. No. S.65025/01/2020-ISH-II]

ALOK CHANDRA, Senior Labour & Employment Advisor